अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखेंअभिलेख हस्तक, १६४१कानियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील वाद सं0–44/2015

शिव प्रसन्न राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सोनपुर, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
27.10.2016	यह अपील वाद विद्वान आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा के आपूर्ति रिविजन संख्या–268/2014 में पारित आदेश 03.10.2015 के आलोक में दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक–19.10.2011 को शिवप्रसन्न राय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, बारवों, प्रखण्ड–दरियापुर की दूकान की जांच की गयी थी। जांच के क्रम में पायी गई अनियमितताओं के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक–1212/दिनांक–26.12.2011 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया । विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोष जनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक–62/दिनांक–17.01.2012 के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील वाद सं0–09/2012 दायर किया गया। इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांक–10.07.2014 के द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध विद्वान आयुक्त सारण प्रमण्डल, छपरा के न्यायालय में आपूर्ति रिविजन वाद सं0–268/2014 दायर किया गया, जिसमें विद्वान आयुक्त के द्वारा दिनांक–03.10.2015 को सुनवाई हेतु रिमाण्ड पर इस न्यायालय को भेजा गया। उक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा पुनः सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल किया गया। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विद्वान आयुक्त के द्वारा अपने आदेश में पाया गया है कि विक्रेता को अनुज्ञापन दाधिकारी के द्वारा उसके विरूद्ध दाखिल जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे वह अपना बचाव सही तरीके से नहीं कर पाया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा सारी कार्रवाई विक्रेता की अनुपस्थिति में की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कई मामलों में यह आदेश पारित किया गया है कि किसी विक्रेता की दुकान के केवल बन्द रहने के कारण उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने जैसा कठोर दण्ड देना विधि सम्मत नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा	

के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै पाता हूँ कि निरीक्षण तिथि को अपीलकर्ता की दुकान बंद थी। बिना सुचना के एवं बिना सक्ष्म पदाधिकारी की अनुमति के दुकान को बन्द रखना एक गंभीर अनियमितता है। इसे विक्रेता के द्वारा अपनी अन्य अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास माना जाना चाहिए। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में विक्रेता के विरूद्ध दुकान बन्द रखें जाने के अतिरिक्त और भी अन्य गंभीर आरोप लगाए गए है। मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं करना, संयुक्त नमुना प्रदर्शित नहीं करना, उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं देना, उपभोक्ताओं के कूपन को अपने पास रख लेना एवं खाद्यान की आपूर्ति नहीं करना– अपीलार्थी के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधानों के बिपरीत स्पष्ट रूप से आचरण करना सिद्ध करता है। इस तरह, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करता हूँ। अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/10/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1271 /दिनांक 03.11.16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।